UPBG010040222021

न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत।

उपस्थित- अवध बिहारी सिंह **(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP05897**

सत्र परीक्षण संख्या-350/2021,

सरकार बनाम तसुब्बर आदि।

आरोप

मैं, अवध बिहारी सिंह, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत आप तसुव्वर, जावेद उर्फ जुल्ली, गालिब, सलीम, राशिद व इंतजार को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

यह कि दिनॉक 08/11/2020 को 21.00 बजे, जंगल ग्राम बसी स्थित बडे पीपल के पास, थाना खेकडा, जिला बागपत के क्षेत्राधिकार में आपने थाना खेकडा के पुलिस बल जिसमें वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार, कां० 264 सतेन्द्र सिंह, कां० 406 रविन्द्र कुमार, चालक कां० रजनीश, उ०नि० श्री मुनेशपाल सिंह, उ०नि० वीरेन्द्र कुमार, कां० 255 अमित भाटी, कां० 395 ललित कुमार व कां० 275 अवतार सिंह शामिल थे, पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया, यह कार्य आपके द्वारा ऐसी परिस्थितियों में किया गया कि यदि आपके द्वारा किये गये उक्त फायर से थाना खेकडा के पुलिस बल में से किसी की मृत्यु कारित कर दी जाती तो आप हत्या के दोषी होते इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो कि भा०द०सं० की धारा-307 सपठित के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्दिशित किया जाता है कि आपके उक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉकः 09/12/2021,

(अवध बिहारी सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बागपत।

आज यह आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप से इंकार किया और विचार की मांग की।

दिनॉकः 09/12/2021,

(अवध बिहारी सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बागपत।